

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, छबड़ा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पत्रपाठ

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एव पटवारी पत्रपाठ व भूअनि निपानिका की रिपोर्ट तथा तहसीलदार का नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तुन्डीपन तहसील व जिला का की जमाबन्दी समेत 2066-69 में खाता रशिया 24 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	तुन्डीपन क्र.नं. 23/13	24	कमोड पुत्र कासा गुलाबकाई पुत्री कासा मोगीकाई पुत्री कासा काती सीजा काई (शेक खाता कानूर)	कमोड पुत्र काशीलाल गुलाबकाई पुत्री काशीलाल मोगीकाई पुत्री काशीलाल कातीसीजा का. देह (शेक खाता कानूर)

[Handwritten signature]

निर्माता काशीलाल
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
छबड़ा जिला बारा (राज.)
पदेन सहा. कलक्टर, छबड़ा

क्रमांक :- 1

दिनांक :- 12/06/15

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार का को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री का को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

निर्माता काशीलाल
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
छबड़ा जिला बारा (राज.)
छबड़ा